प्रेषक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ का पत्र क्रमांक 3251–4 जी0 एस0 – 11–7–76/12309 जो कि सभी विभागाध्यक्ष इत्यादि को दिनांक 13 मई 1976 को भेजा गया है ।

विषय :– उच्चतर शिक्षा पाने के लिये सरकारी कर्मचारियों को अनुमति देना।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक 3712–2 सी. एस. 72/21209 दिनांक 18–7–72 की ओर आकर्षित करूं । जिस द्वारा उन नियमित रूप में लगे सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर शिक्षा पाने के लिये अनुमति प्रदान की गई थी जिनका सेवा काल कम से कम 5 वर्ष की हो । सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करने के पश्चात अब यह निर्णय लिया है कि उन नियमित रूप से लगे सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाये जिनका सेवा काल कम से कम 3 वर्ष हो । शेष शर्तें पहले वाली ही रहेंगी ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।